प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के.विफ्स/07/2014–15/879475 दिनांकः 18/9/14

विषयः– सप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयरन फोलिक एसिड के उपयोग के पश्चात होने वाली किसी प्रतिकूल परिस्थिति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में सप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में एनिमिया से बचाव हेतु सप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड गोंलिया दी जा रही हैं। यद्यपि सामान्यतः आयरन एवं फोलिक एसिड गोली का कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नही होता है फिर भी कभी–कभी गोलियों के सही प्रकार से सेवन न करने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ सकती है।

ऐसी स्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति के प्रभावी नियन्त्रण हेतु दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है तथा निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया

18/9/2014

(डा0 अरुणा नारायण)
महाप्रबन्धक, स्कूल स्वास्थ्य एवं अर्श

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के.विफ्स/07/2014–15/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. को मिशन निदेशक के सूचनार्थ।

(डा0 रेशमा मसूद)
सहायक महाप्रबन्धक,
स्कूल स्वास्थ्य एवं अर्श

आपातकाल प्रतिक्रिया प्रणाली (Emergency Response System)

"सप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड सम्पूरण हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली"

Weekly Iron & Folic Acid Supplementation (WIFS) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरों एवं किशोरियों में होने वाली रक्त अल्पता को दूर करना है। WIFS कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 10–19 वर्ष के किशोरों एवं किशोरियों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग निम्नलिखित है :–

1. **स्कूलों के माध्यम से** :– सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पंजीकृत(10–19 वर्ष) के सभी **किशोर एवं किशोरी**
2. **आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से** :– 10 से 19 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियां

WIFS कार्यक्रम की रणनीति :–

- WIFS कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्ताह में एक निश्चित दिवस (सोमवार/वृहस्पतिवार) पर सप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड की बड़ी गोली (100 mg. Elemental आयरन तथा 500 mcg. Folic Acid) का प्रशिक्षित शिक्षकों/आं0वा0का0 के निगरानी में सेवन कराना।
- किशोरों एवं किशोरियों की खून की जॉच करना तथा गंभीर रक्तल्पता की लाइन लिस्टिंग, संदर्भन एवं उपचार करना।
- वर्ष में दो बार सभी किशोरों एवं किशोरियों को कृमि नाशक टेबलेट (400 mg. Albendazole) का सेवन कराया जाना।
- सभी किशोरों एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु परामर्श।

यद्यपि सामान्यतः आयरन एवं फोलिक एसिड गोली का कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नही होता है फिर भी कभी–कभी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां (Adverse Effects) सामने आ सकती है। सामान्यतः ये प्रतिकूल परिस्थितियां (Adverse Effects) आयरन की गोलियों के सेवन का सही तरीका न अपनाने के कारण से होती है। इस लिये आयरन की गोलियों के सेवन के सही तरीके की जानकारी शिक्षकों एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को होना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें समुचित जानकारी दी गयी है, जिनमें गोलियों के सेवन का उचित तरीका, रिपोर्टिंग तथा निगरानी भी सम्मिलित है।

WIFS कार्यक्रम हेतु आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली का होना अति आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का समय से उपचार किया जा सके। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत पहले से ही AEFI Committee बनी हुए हैं, जिनको इस कार्यक्रम के साथ आसानी से जोड़ते हुए उत्तरदायित्व दिया जा सकता है ताकि ERS एवं AEFI का संयुक्त रूप से प्रबन्धन किया जा सके।

प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या में तभी कमी आयेगी जब सभी लोग आयरन की गोलियां खिलाने में सावधानी रखेंगे तथा मानक गुणवत्ता (Standard Quality) हेतु दिशा निर्देशों का कड़ाई से प्रत्येक स्तर पर पालन किया जायेगा।

आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का अच्छादन व संभावित प्रतिकूल प्रभाव –

कुछ तथ्य :–

1. **IFA के सन्दर्भ में प्रतिकूल प्रभाव (Side Effects) से क्या तात्पर्य है ?**

उत्तर– यह आयरन की औषधीय प्रकृति (Pharmacological Properties) के कारण अनचाहे, हानिरहित तथा अपेक्षित प्रतिकूल प्रभाव (Side Effects) होते है। यह परिणाम दवा के प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं, न कि खुराक की अधिकता के कारण।

2. **सामान्यतः आयरन की गोली के प्रतिकूल प्रभावः–**

किशोर व किशोरियों को दी जाने वाली रोग निरोधी आयरन की गोली खाने के बाद सामान्यतः पाये जाने वाले प्रभाव निम्न हैं:–

- पेट/उदर सम्बन्धी शिकायत – मिचली आना, दस्त या फिर कब्ज इत्यादि।
- काली टट्टी का होना
- धातुई (Metallic) स्वाद

3. **आयरन खाने के मामूली प्रभाव हर किसी को और हमेशा नहीं होते।**

उपरोक्त आयरन के प्रभाव (Side Effects) सभी में नहीं मिलते यह मुख्यतः तब होते हैं, जब आयरन पहली बार खाई जाती है। इस स्थिति में कई बार शरीर को आयरन ग्रहण करने में दिक्कत होती है। यह विपरीत प्रभाव नियमित रूप से गोली खाने पर स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब तक शरीर इसके सेवन का आदी हो जाता है। कुछ विपरीत प्रभाव तभी होते हैं, जब आयरन की गोली खाली पेट ले ली जाती है।

4. **आयरन सेवन के विपरीत प्रभाव जानलेवा नहीं होते है।**

अभी तक कोई ऐसा शोध नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि आयरन खाने से मृत्यु या फिर किसी प्रकार की विकलांगता होती है। खुराक की मात्रा रक्तअल्पता (Anaemia) से बचाव करती है और इतनी मात्रा शरीर असानी से ग्रहण कर लेता है।

5. **गोली के विपरीत प्रभाव रोकने हेतु उठाये जाने वाले कदम**

(अ) <u>जिला स्तर पर</u> :–

WIFS कार्यक्रम संचालन गाइड लाइन की जानकारी प्रदेश के सभी अस्पतालों (PHC CHC TRU/DH) तथा कार्यक्रम संचालको को दी जाये तथा उन्हें यह भी निर्देश दें कि वे प्रत्येक सोमवार/वृहस्पतिवार (जिस दिन दवा खिलाई जाती है) को सतर्क रहे, साथ–साथ निम्नलिखित दवाइयां सभी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य टीम (Mobile Health Team) के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें।

1. ORS पैकेट
2. Tablet सेट्रीजीन 10 मि0ग्रा0

3. सीरप सेट्रीजीन 30 मि0ली0
4. टैबलेट डाईसाइक्लोमाइन (Dicyclomine) 10 मि0ग्रा0
5. टैबलेट एवील (Avil) 25 मि0ग्रा0
6. टैबलेट डोमस्टल (Domstal) 10 मि0ग्रा0
7. टैबलेट मेफ्टाल (Meftal) 500 मि0ग्रा0
8. टैबलेट/सिरप प्रेड्नीसोलोन (Prednisolone)
9. टैबलेट/सिरप पैरासीटामोल (Paracetamol)
10. डाइजीन (Liquid) 200 ml.

इन प्रतिकूल प्रभावों (Adverse Effects) के रोकथाम हेतु सभी सरकारी अस्पतालों (PHC/CHC/FRU/DH) में आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए तथा इसकी समय से रिपोर्टिंग अनिवार्य है। जनपद के नोडल अधिकारी का नाम तथा टेलीफोन नम्बर स्कूल अध्यापक/आंगनवाड़ी एवं मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों को उपलब्ध करायें।

जनपद के नोडल अधिकारी, सबला जिलों में आई0सी0डी0एस0 की जिला परियोजना अधिकारी को आयरन उपलब्ध करायें तथा आयरन के खिलानें का उचित तरीका व संभावित प्रतिकूल प्रभावों के रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारी दें।

WIFS कार्यक्रम के सन्दर्भ में कुछ आवश्यक जानकारी।

1. जो **बच्चे स्वस्थ नहीं** है उन्हें IFA या Albendazole की गोलियां न **खिलायें।**
2. IFA की गोलियां किसी भी हाल में **खाली पेट ना खिलायें।**
3. **प्रतिकूल प्रभाव** वाले सभी बच्चों को एक कमरे में रखकर उनकी **निगरानी की** जाये।
4. तत्कालीन आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERS) को लागू किया जाये।
5. स्वास्थ्य टीम अन्य हितधारकों के साथ **समन्वय** स्थापित करें ताकि प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects) से पीड़ित किशोरों का **त्वरित इलाज** किया जा सके।
6. यदि किसी मरीज को अस्पताल में **सन्दर्भन** करना हो तो तुरन्त उसका प्रबन्धन किया जाये। इसके लिए 108 एम्बुलेन्स को भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
7. प्रत्येक प्रतिकूल प्रभावों का उचित प्रलेखन (Documentation) किया जाना आवश्यक है।
8. किशोरों एवं किशोरियों के माता–पिता को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

(ब) **स्कूल पर उठाये जाने वाले कदम :–**

1. WIFS कार्यक्रम की गाइडलाइन एवं सावधानियों की जानकारी स्कूलों के सभी क्लास टीचरों को जरूर दी जाये।
2. स्कूल की प्रार्थना सभा में WIFS कार्यक्रम के प्रति छात्रों को जागरूक बनाया जाये।
3. शिक्षक एवं माता–पिता की बैठक में WIFS कार्यक्रम के प्रति माता–पिता को भी जागरूक बनाया जाये। आपातकालीन परिस्थितियों में माता–पिता को क्या–क्या कदम उठाने चाहिए, उसकी जानकारी दी जाये।
4. WIFS कार्यक्रम के सभी अधिकारियों का दूरभाष/मोबाइल नम्बर (WIFS Nodal at district , Mobile Health Team, BMO, School Nodal Teacher) एक नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जाना चाहिए।
5. नजदीकी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्तपालों का दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा एम्बुलेन्स के फोन नम्बर भी दर्शाये जाने चाहिए।
6. WIFS कार्यक्रम से सम्बन्धित सारी जानकारियां तथा अनुपालन (Compliance) Card सभी विद्यार्थियों (किशोर 10–19 वर्ष) को दी जानी चाहिए।
7. प्रत्येक प्रतिकूल प्रभावों का उचित प्रलेखन (Documentation) किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित विद्यार्थियों का ईलाज करवायें।

(स) **मेडिकल टीम की जिम्मेदारी :–**

1. मेडिकल टीम दवाई की पहली खुराक स्कूल में भोजन मिलने के पश्चात अपने सामने खिलवाये। इससे शिक्षकों व आंगनबाडी कार्यकत्री की झिझक मिटेगी व उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
2. मेडिकल टीम शिक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकत्री को विपरीत प्रभाव/बचाव से अवगत कराये और हर बार स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जरूर बताये।
3. शिक्षकों, आंगनबाडी कार्यकत्री को भी अपने सामने टैबलेट (IFA Large) ग्रहण कराये।
4. मोबाइल टीम के पास बिन्दु (अ) पर दर्शायी गयी 1 से 10 तक की सभी दवाइयां उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

आयरन की गोली कैसे खाये	
क्या करें	**क्या न करें**
एक गोली खायें।	गोली को चबाये नहीं।
गोली को निगलें।	गोली को कूंचकर न खायें।
गोली भोजन खाने के बाद खायें।	गोली को खाली पेट न खायें।
गोली खाने बाद एक गिलास पानी पियें।	दूध या चाय के साथ गोली न खायें।
	गोली को तोड़कर न खायें।

प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects) होने पर क्या करें?

घर पर –

यदि प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects) घर पर हुआ हो तो तुरन्त निकट के अस्पताल में ले जायें, तथा सम्बन्धित आशा/आंगनवाड़ी कार्यकत्री/ए0एन0एम0/स्कूल अध्यापक को सूचित करें।

आंगनबाड़ी केन्द पर–

यदि प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects) आंगनबाड़ी केन्द्र पर हुआ हो तब आंगनबाडी कार्यकत्री की जिम्मेदारी है कि –

1. बच्चे के माता–पिता को इसकी सूचना दें।
2. ए0एन0एम0/आशा के माध्यम से इसकी सूचना निकटम P.H.C./C.H.C. नोडल अधिकारी को दें।
3. बिना देरी किये बच्चें को निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु संदर्भन करें।

स्कूल पर –

यदि प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects) स्कूल पर हुआ हो तब अध्यापक/नोडल अध्यापक की जिम्मेदारी है कि –

1. बच्चे के माता–पिता को इसकी सूचना दें।
2. स्कूल के नोडल अध्यापक इसकी सूचना निकटम P.H.C./C.H.C./M.H.T. एवं जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को भेजें को तुरन्त सूचित करें।
3. बिना देरी किये बच्चें को निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु संदर्भन करें।

ब्लाक नोडल अधिकारी/एम0एच0टी0 की जिम्मेदारी

1. प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effects) का तत्काल उपचार करें।
2. घटना की जांच कर प्रतिकूल प्रभाव के कारणो को जानने का प्रयास करें।
3. प्रयुक्त दवाइयों के सैम्पल रखे एवं उन्हें जॉच हेतु भेजें।
4. ग्रसित बच्चों की लाइन लिस्टिंग करें एवं उसकी रिपोर्ट जिले पर भेजें।
5. यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के माता पिता को घटना की जानकारी दे दी गयी है।

सी0एम0ओ0/जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारीः–

1. घटना की जॉच तत्काल करवायें।
2. ग्रसित बच्चों के इलाज की व्यवस्था करवायें।
3. बच्चो की रिपोर्ट राज्य स्तर पर रिपोटिंग फॉर्मेट पर भेजे
4. घटना के कारणों के सम्बन्ध में जॉच Committee /AEFI Committee की राय से सम्भावित कारणों को जानने का प्रयास करें, एवं भविष्य में इसकी पुर्नावृत्ति न हो इस हेतु आवश्यक कदम उठायें। प्रयुक्त दवा के सैम्पल जॉच हेतु भेजे तथा अग्रिम निर्देशों तक तत्काल इसका प्रयोग पर रोक लगाकर सूचना राज्य को दें।

IFA Supplementation Side effects report School/AWC – District Level

Date of giving IFA tablet	Name of district where side-effects were reported	Name of schools/ AWC where SE reported	Total number of children given IFA tablet on that day	Total number of children reporting side-effects on that day	Number of 10yrs – 19 yrs children reporting SE	Type of SE reported* (coding) Nausea, stomach ache, vomiting, others	children with SE taken to health facility	children with SE taken to health facility given treatment and not admitted	children with SE taken to health facility who were admitted	Follow up of children who were admitted # (Coding)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Side-effects (SE)
N- nausea
P- Stomach ache
V- vomiting
O- others

Follow up
D- Discharged within 12 hours
DA- Discharged between 12-24 hours
R- Referred to higher level facility

Note: Attaché the Line-listing of children which are having adverse effect from IFA Supplementation